न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 06/2013/भीलवाड़ा (2013/00078)

विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंभू सिंह जाति राजपूत निवासी काछोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश दिंनाक 19.03.2013

उपस्थितः 1— श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 09.04.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी विरेन्द्र सिंह पुत्र शंभू सिंह टोपीदार बन्दूक एक बोर एस[illegible] नम्बर 62775 अनुज्ञा पत्र बीएचएल/12/1993 का लाईसेंसधारी है जिसने शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 19—3—2013 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र

निरस्त करते हुए शस्त्र को पुलिस थाना काछोला के यहां जमा करवाने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाथी के विरूद्ध जो आपराधिक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय में विचाराधीन है एवं वहां से प्रकरण का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक कानूनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता किन्तु तहत न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 6–8–2012 के द्वारा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय पारित नहीं कर कानूनी भूल की है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की जबकि अपीलार्थी द्वारा टोपीदार बन्दूक एक बोर नाल का लाईसेन्स सुरक्षा कारणों से नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सुरक्षा कारणों के खतरे को नहीं मानकर अस्पष्ट आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के [illegible] गन नम्बर 62775 अनुज्ञा पत्र बीएचएल/12/1993 बाबत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 3295 दिनांक 21–2–2012 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 58/01 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341,

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested

323, भा0द0स0 में दर्ज होकर दिनांक 21–5–2008 को सजा होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया उनके द्वारा स्वयं ने जवाब प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना बताया परन्तु उक्त विचाराधीन प्रकरण में निर्णय के बारे में अपीलार्थी संतुष्ट नहीं कर पाया। अपीलार्थी द्वारा लड़ाई झगड़ा किये जाने से जन शांति भंग किया जाना प्रतीत होता है। थानाधिकारी काछोला ने भी अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 58/01 व 57/01 दर्ज होना अवगत कराया है। उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेन्स आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र एक बोर एसबी गन नम्बर 62775 अनुज्ञा पत्र बीएचएल/12/1993 को निरस्त करते हुए इसमें दर्ज हथियारों को संबंधित थाने पर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या एक बोर एसबी गन नम्बर 62775 अनुज्ञा पत्र बीएचएल/12/1993 हथियार जारी किया हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब की जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 58/01 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, भा0द0स0 में दर्ज होकर दिनांक 21–5–2008 को सजा होने का उल्लेख किया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना अवगत कराया है। अपीलार्थी के उक्त प्रकरण को पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को दिनांक 6–8–2012 को रिमाण्ड कर प्रकरण से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका को ध्यान में रखते हुए विधि के अन्तर्गत स्वविवेक से अपना निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने दिनांक 9–10–2012 एवं 26–12–2012 को अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलार्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जौधपुर में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के बारे में संतुष्ट नहीं कर पाया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 58/01 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, भा0द0स0 में दर्ज होकर दिनांक 21–5–2008 को सजा होने व थानाधिकारी काछोला [illegible]र्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 58/01 व 57/01 दर्ज हो[illegible] के दृष्टिगत आर्म्स एक्ट के तहत शस्त्र टोपीदार बन्दूक एक बोर एसबी गन नम्बर 62775 अनुज्ञा पत्र बीएचएल/12/1993 निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2013/22254/दिनांक 19–3–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested